न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्पअटल सेवा केन्द्र – शिवपुरा

पीठासीन अधिकारीः– श्री मुकेश चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 59/2014

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. घीसाराम 2. चुन्नीलाल 3. पूनाराम पि. पन्नाराम जातियान सीरवी निवासीगण शिवपुरा, तहसील सोजत, जिला–पाली (राजस्थान)।		1. कनका देवी पत्नी विरदी चन्द 2. मांगीलाल पुत्र विरदी चन्द 3. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि–धारक), सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली (राजस्थान)। 4. नेनी पत्नी मो. हुसैन जाति शेख मुसलमान निवासी खेजड़ली कलां तहसील लूणी, जिला जोधपुर, (राजस्थान)।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. **श्री ताराचन्द टांक, अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण संख्या 01 से 03 स्वयं उपस्थित।**
2. **श्री सत्यनाराण वर्मा, तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।**
3. **प्रतिवादी संख्या 01 कनकादेवी स्वयं उपस्थित।**

–: निर्णय :– **दिनांक – 29.06.2017**

न्यायालय हाजा द्वारा वादीगण के प्रस्तुत राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत पेश करने के बाद विधिक सुनवाई वाद डिक्री योग्य पाया गया। विस्तृत निर्णय राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प शिवपुरा में दिनांक 14.07.2015 को उभय पक्षकारान को सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण विभाजन का होने से, चूंकि उभय पक्ष रेकर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज होने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188, आर.टी.एक्ट 1955 के तहत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर दिनांक 14.07.2015 को प्राथमिक डिक्री इस अमर की सादिर की गई कि सरहद मौजा शिवपुरा तहसील सोजत के वर्तमान खसरा संख्या 1294 रकबा 1.8800 हैक्टर गैर मुमकिन बंजड़ में से 0.1100 हैक्टर भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है तथा उक्त भूमि में से वादी की 0.1100 हैक्टर भूमि का पक्षकारान के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन अलग–अलग खसरा संख्या, रकबा एवं लगान निर्धारण कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के तहसीदार, सोजत को आदेश दिये गये। निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पर्चा की प्रमाणित प्रति तहसीलदार, सोजत को तहरीर के साथ प्रेषित की जाकर पालना भिजवाये जाने हेतु लिखा गया। अधिक्ता मय वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र नियम 01 आदेश 10 सी.पी.सी. का पेश किया कि प्राथमिक डिक्री की पालना हेतु पटवारी हल्का टालमटोल की स्थिति में वादी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

दिनांक 16.02.2016 को लिखित आवेदन पेश करने पर पटवरी हल्का – शिवपुरा को पालना हेतु प्रेषित किया गया। पटवारी से पुनः सम्पर्क करने पर पाया गया कि वाद प्रस्तुत करने के पश्चात् खरीदकर्ता नैनी पत्नी मो॰ हुसैन के दबाववशः नामान्तरकरण संख्या 1215 के जरिए कनकादेवी का नाम हटाकर नैनी के नाम भर दिया, जिससे राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन हो जाने से खसरा संख्या 1294 रकबा 1.8800 हैक्टर में से 0.1100 हैक्टर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है, जिससे वाद पर विपरित असर पड़ने से प्रतिवादी संख्या 04 के रूप में नैनी पत्नी मो॰ हुसैन कौम शेख मुसलमान साकिन खेजड़ली कलां तहसील लुणी, जिला–जोधपुर को पक्षकार के रूप में संयोजित कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस अधिवक्ता वादी में भी प्रतिवादी संख्या 04 के रूप में 0.11000 हैक्टर की क्रेता होने से नैनी को पक्षकार बनाये जाने की इश्तवुआ की है।पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अधिवक्ता वादी का 200/– कॉस्ट पर आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. का स्वीकार किया गया तथा क्रेता नैनी को प्रतिवादी संख्या 04 के रूप में प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किया गया। दिनांक 16.11.2016 को संशोधित शीर्षक को प्रस्तुत हुआ, सामिल मिसल किया गया। प्रवितादी संख्या 04 को रजिस्टड् ए.डी. जरिए भिजवाये सम्मन्स को एक माह की अवधि व्यतीत हो जाने से तामिल की श्रेणी में माना जाकर दिनांक 01.03.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली आज दिनांक 29.06.2017 को राज्य सरकार द्वारा आयोजित न्याय आपके द्वार कार्यक्रम – 2017 अटल सेवा केन्द्र शिवपुरा पर पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित उभय पक्षकारान मय अधिवक्तागण को सुना गया। तहसीलदार, सोजत ने पत्रांक/राजस्व/17/5890 दिनांक 29.06.2017 द्वारा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया, सामिल मिसल किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पर उपस्थित वादीगण एवं अधिवक्ता वादी को सुना गया, सहमति व्यक्त की है। लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 29.06.2017 अनुसार वाद डिक्री किया जाना तथा विवादित भूमि में वादी की भूमि का बंटवाडा पक्षकारानों में किया जाना उचित समझते है।

–: **आदेश** :–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 29.06.2017 अनुसार डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा शिवपुरा तहसील सोजत के खसरा संख्या 1294 रकबा 1.8800 हैक्टर गैर मुमकिन बंजड़ भूमि में से 0.1100 हैक्टर बंजड़ भूमि का चूंकि निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.07.2015 अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका है, लिहाजा वादीगण का 0.1100 हैक्टर भूमि में वादीगण का नाम सर्वप्रथम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें अर्थात् प्रतिवादी संख्या 04 के नाम दर्ज खसरा संख्या 1294 रकबा 1.8800 चाही सोयम भूमि में से खसरा संख्या 1294/1 रकबा 0.1100 हैक्टर बंजड़ भूमि में वादीगण के नाम दर्ज किये जावें। तत्पश्चात् खसरा संख्या 1294/1 रकबा 0.1100 हैक्टर बंजड़ भूमि का माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 29.06.2017

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

वादीगण की भूमि तहसीलदार सोजत द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारानों के मध्य खसरा संख्या, रकबा एवं लगान का निर्धारण अर्थात् बंटवाडा निम्नानुसार किया जाता है तथा नजरी नक्शे को इस डिक्री का भाग बनाया जाता है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा (है॰)	किस्म	लगान
1.	घीसाराम, पुनाराम, चुन्नीलाल पि. पनाराम कौम सीरवी साकिन देह खातेदार।	1294/1	0.1100	बंजड़	0.22

माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 29.06.2017 अनुसार अन्य वादीगण बंटवाडा नहीं करवाना चाहने से अपनी खातेदारी भूमि को सामलाती ही रखना चाहने से उनका पृथक से बंटवाडा नहीं किया गया। तहसीलदार सोजत उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय एवं अन्तिम डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 29.06.2017 की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 29.06.2017 को राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प – 2017 अटल सेवा केन्द्र शिवपुरा में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)